

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 401/2024

अनवान : -

1. रामचन्द्र पुत्र देवसी जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
2. भानीराम पुत्र देवसी जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. विनोद पुत्र रोशनी पुत्री देवसी जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
2. किशोर पुत्र रोशनी पुत्र देवसी जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादीगण
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 25/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 187/187 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि देवसी पुत्र मोमन के राम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देवसी पुत्र मोमन के नाम दर्ज है। वादी के पिता देवसी पुत्र मोमन का स्वर्गवास हो चुका है तथा देवसी पुत्र मोमन की एक पुत्री रोशनी भी फौत हो चुकी है इनके स्वर्गवास के बाद विधिक उत्तराधिकारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 हुए जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादीगण ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर



वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण देवसी व रोशनी, शपथ पत्र बाबत वारिसान आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देवसी पुत्र मोमन के नाम दर्ज है। वादीगण के पिता देवसी पुत्र मोमन का स्वर्गवास हो चुका है तथा देवसी पुत्र मोमन की एक पुत्री रोशनी भी फौत हो चुकी है इनके स्वर्गवास के बाद विधिक उत्तराधिकारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 हुए जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादीगण ब० हि० ब० काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 187/187 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि देवसी पुत्र मोमन के राम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देवसी पुत्र मोमन के नाम दर्ज है। वादीगण के पिता देवसी पुत्र मोमन का स्वर्गवास हो चुका है तथा देवसी पुत्र मोमन की एक पुत्री रोशनी भी फौत हो चुकी है इनके स्वर्गवास के बाद विधिक उत्तराधिकारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 हुए जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादीगण ब० हि० ब० काबिज है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत सदस्य एवं सजरा खानदान के अलावा देवसी के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 187/187 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि देवसी पुत्र मोमन के राम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में देवसी पुत्र मोमन का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 401/2024

अनवान : -

1. रामचन्द्र पुत्र देवसी जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
2. भानीराम पुत्र देवसी जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. विनोद पुत्र रोशनी पुत्री देवसी जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
2. किशोर पुत्र रोशनी पुत्र देवसी जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 401 सन 2024 निर्णय दिनांक - 29/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 187/187 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि देवसी पुत्र मोमन के राम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में देवसी पुत्र मोमन का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/5/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर